उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
3/16 प्रा० पत्र धारा (5)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/18	प्रार्थी माल राजस्व लोक अदालत कैम्प नाथूजाना मे पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम 474 मे खाता चाहते है तथा ग्राम 475 मे प्रार्थीगण खेत जोते हुए काश्तकार है। राजस्व लोक अदालत कैम्प मे पटवारी द्वारा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम 472 व 473 के मकान बने हुये है तथा ग्राम 474 व 475 के बीच के मध्य आबादी बनी होने से खाता खोला जाना सम्भव नही है अतः प्रकरण मौके पर आबादी बनी होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(रविन्द्र विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)